उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकाकरी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या– 35 / 2017

मोहन बेदिया बनाम् राज्य एवं प्रयाग माँझी वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

05/03/2021

–:: आदेश ::–

अभिलेख उपस्थापित। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद संख्या–28 / 2014–15 प्रयाग माँझी वगै0 बनाम् मोहन बेदिया में दिनांक–03.08.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील दायर किया गया है। दायर अपील वाद अंगीकृत करते हुए विपक्षीगण को प्रश्नगत् भूमि के बावत् दावा–दस्तावेज अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में उपस्थापित करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया तथा निम्न न्यायालय से अभिलेख प्राप्त किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–संग्रामपुर, थाना–गोला, जिला–रामगढ़ के अन्तर्गत खाता नं०–17, प्लॉट नं०–1719, रकबा–0.11 एकड़, प्लॉट नं०–1722, रकबा–0.84 एकड़, प्लॉट नं०–1836, रकबा–1.07 एकड़, प्लॉट नं०–1879, रकबा–0.43 एकड़, प्लॉट नं०–1885, रकबा–1.39 एकड़, प्लॉट नं०–1890, रकबा–0.19 एकड़, प्लॉट नं०–1936, रकबा–0.98 एकड़, प्लॉट नं०–1960, रकबा–1.02 एकड़, प्लॉट नं०–1988, रकबा–0.88 एकड़, प्लॉट नं०–2444, रकबा–0.22 एकड़, प्लॉट नं०–2043, रकबा–1.40 एकड़, प्लॉट नं०–3527, रकबा–2.96 एकड़, कुल जमा रकबा–11.49 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में गया मंझियान, पति–मंगल माँझी के नाम से दर्ज है, जिसकी जमाबन्दी राजस्व पंजी–II के पेज नं०–197, भॉलूम नं०–01 में जमाबन्दी राजस्व पंजी–II के पृष्ठ संख्या–197, भॉलूम नं०–01 में धूप सिंह बेदिया, पिता–शंकर बेदिया के नाम से कायम है, जो अपीलार्थीगण के पूर्वज है। इनका यह भी कहना है कि खतियानी रैयत के द्वारा उक्त प्रश्नगत भूमि भूतपूर्व जमीन्दार को इस्तीफा किये जाने के पश्चात् दिनांक–03.07.1946 को धूप सिंह बेदिया के नाम से बंदोबस्त किया गया है, जो दिनांक–05.01.1948 से पहले का है। विपक्षी द्वारा पूर्व में भी भू–वापसी वाद संख्या–4 / 1992 दायर किया गया था, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा अस्वीकृत किया गया है। इन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि का भूतपूर्व जमीन्दार के यहाँ इस्तीफा कभी भी नहीं दिया गया है और न ही इसका उल्लेख इस्तीफानामा में किया गया है। ग्राम–संग्रामपुर के रैयत सुरा माँझी के मृत्यु के पश्चात् उनके दो पुत्र धाना माँझी एवं खेपा माँझी उत्तराधिकारी हुए, धाना माँझी के मृत्यु के पश्चात् उनके एकलौता पुत्र मंगला माँझी उत्तराधिकारी हुए और मंगला माँझी के मृत्यु के पश्चात् उनकी पत्नी मो० गयामनी मंझियाईन उत्तराधिकारी हुई। इनका यह भी कहना है कि किसी भी विधवा को सरेन्डर करने का अधिकार नहीं है, जो ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी का उल्लंघन है। अपीलार्थी द्वारा जाली/बनावटी कागजातों के आधार पर दावा किया जा रहा है, जो पोषणीय नहीं है। इन्होंने अपील आवेदन अस्वीकृत करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश को यथावत रखने हेतु अनुरोध किया है।

सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46(4A) में उल्लेखित है कि "The Deputy Commissioner may, of his own motion or on an application filed before him by an occupancy-Raiyat, who is a member of the Scheduled Tribes, for annulling the transfer on the ground that the transfer was made in contravention of clause (a) of the second proviso to sub-section (1), hold and inquiry in the prescribed manner to determine if the transfer has been made in contravention of clause (a) of the second proviso to sub-section (1) :

Provided that no such application be entertained by the Deputy Commissioner unless it is filed by the occupancy-tenant within a period of twelve years from the date of transfer of his holding or any portion thereof :

Provided further that before passing any order under clause (b) or clause (C) of this sub-section, the Deputy Commissioner shall give the parties concerned a reasonable opportunity to be heard in the matter."

अंचल अधिकारी, गोला का पत्रांक–1253, दिनांक–22.09.2014 द्वारा निम्न न्यायालय (भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ का न्यायालय) को प्रेषित प्रश्नगत भूमि के बाबत जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि वाद में प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान में मसो० गया मांझीयाईन के नाम से रैयती दर्ज है। जमाबन्दी राजस्व पंजी–II के पृष्ठ संख्या–197, भॉलूम नं०–01 में धूप सिंह बेदिया, पिता–शंकर बेदिया के नाम से कायम है एवं लगान रसीद निर्गत है। खतियानी रैयत के वंशज लगभग पचास वर्षों से बेदखल है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद संख्या–28/2014–15 प्रयाग माँझी वगै० बनाम् मोहन बेदिया में दिनांक–03.08.2016 को पारित आदेश में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46(4-A) के तहत् अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दायर भू–वापसी अपील वाद के अपीलार्थी मोहन बेदिया अर्थात निम्न न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद के विपक्षी को प्रश्नगत भूमि से उच्छेदित किया गया है।

अपीलार्थी एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता तथा सरकारी अधिवक्ता का बहस सुनने एवं समर्पित कागजातों/निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

1. प्रश्नगत् भूमि आदिवासी खाते की भूमि है, सर्वे खतियान में मौजा–संग्रामपुर, खाता नं०–17, मसो० गया मांझीयाईन, जौजे मंगला माँझी के नाम से दर्ज है तथा दायर अपील वाद के विपक्षीगण खतियानी रैयत के वंशज है।
2. प्रश्नगत् भूमि की जमाबन्दी राजस्व पंजी–II के पृष्ठ संख्या–197, भॉलूम नं०–01 में धूप सिंह बेदिया, पिता–शंकर बेदिया के नाम से कायम है, जो दायर अपील वाद के अपीलार्थी जमाबन्दी रैयत के वंशज अन्तर्गत आते है।
3. अपीलार्थी का दावा है कि प्रश्नगत भूमि भूतपूर्व जमीन्दार से हुकुमनामा से प्राप्ति के उपरान्त दखलकार हुए, तत्पश्चात जमीन्दारी उन्मूलन के बाद जमाबन्दी कायम होकर लगान रसीद निर्गत है।
4. अंचल अधिकारी, गोला द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट प्रतिवेदित होता है कि विपक्षी लगभग 50 वर्षों से प्रश्नगत भूमि से बेदखल है।
5. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46 अन्तर्गत आदिवासी खोते की भूमि हस्तान्तरण हेतु उपायुक्त/सक्षम प्राधिकार से अनुमति की आवश्यकता है।
6. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46(4-A) के तहत् उच्छेदित भूमि से रयैत 12 वर्षों की अवधि के अंदर बेदखल है, तभी उक्त सुसंगत धारान्तर्गत भू–वापसी की कार्रवाई की जा सकती है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न न्यायालय (भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़) द्वारा पारित आदेश से सहमत होने का तार्किक एवं वैध आधार नहीं बनता है। ऐसी परिस्थिति में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46(4-A) के तहत भू–वापसी की कार्रवाई पोषणीय नहीं है। अतः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद संख्या–28/2014–15 प्रयाग माँझी वगै0 बनाम् मोहन बेदिया में दिनांक–03.08.2016 को पारित आदेश को Set-aside करते हुए अपीलार्थी द्वारा दायर अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है। इसी आदेश के साथ वाद निस्तारित किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख भेजे। संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित

Digitally signed by SANDEEP SINGH
Date: 2021.07.02 14:22:37 +05:30
Location: 192.168.0.4

05/03/21
उपायुक्त,
रामगढ़।

05/03/21
उपायुक्त,
रामगढ़